COURT OF THE PRINCIPAL DISTRICT JUDGE, SIWAN

Probate Case No. 98/2025

Dinesh Kumar Yadav V/s The State of Bihar & Others

16-04-2026 आवेदक की ओर से पैरवी के साथ नवीन वकालतनामा दाखिल किया गया। वापसी आवेदन दिनांक 11.07.2025 को प्रचालित कर वाद को वापस लेने की प्रार्थना की गई है।

वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वापसी आवेदन दिनांक 11.07.2025 को प्रचालित किए, उनका अभिकथन है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रोवेट वाद संख्या 04/2011 की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया था। इस बाबत आवेदक द्वारा अपना नाम पक्षकार के रूप में जुड़वाने हेतु एक प्रर्कीण वाद 35/2024 भी दाखिल किया गया था परन्तु जब उक्त वसीयतनामा की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त किया गया तो वसीयतनामा पर पाये गए वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर उनके मूल हस्ताक्षर से भिन्न पाया गया। ऐसी परिस्थिति में आवेदक पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए गए प्रोवेट वाद को चुनौति देना चाहता है और इस वाद को वापस लेना चाहता है।

सुना। आवेदक के प्रार्थना को स्वीकृत करते हुए वाद को वापस लेने के आधार इस प्रोवेट वाद को **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

प्रधान जिला न्यायाधीश